Reviewing the participation in private placement of FI debt

732. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether banks are reviewing participation in private placement of FI debt;

(b) if so, reasons therefor;

(c) what is the cause of differences between banks and FIs on project finance;

(d) the full details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (d) Information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the Hosue.

Investment of LIC funds in private sector

733. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have permitted Life Insurance Sector to invest its annual accretion funds in the private sector infrastructure; and

(b) if so, the details thereof? .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) Prior to July, 1997, the socially oriented sector investment of the LIC consisted of loans for Housing Schemes, Electricity Boards, Water Supply and Sewerage Boards, State Road Transport Corporations, Co-operative Industrial Estates and Sugar Co-operatives. From 30th July, 1997 onwards the scope of socially oriented sector investments has been enlarged to include investments in infrastructure projects relating to Ports, Roads and Highways, Railways (i.e. BOLT projects) and Airports. LIC has been allowed to invest in private sector infrastructure projects also subject to availability to suitable schemes which satisfy their prudential norms.

झारखंड के क्षेत्रीय समाचारों का जनजातीय क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन पर प्रसारण

734. **श्री ज्ञान रंजन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पटना दूरदर्शन केन्द्र झारखंड क्षेत्र के समाचारों को आनुपातिक रुप से प्रसारित नहीं करता, जिससे जनजाति क्षेत्र के लोगों को समाचार नहीं मिल पाते: और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रांची दुरदर्शन केन्द्र से क्षेत्रीय समाचार प्रसारित करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी नहीं। झारखण्ड क्षेत्र से सम्बन्धित समाचार मदों का उनके समाचारिक महत्व के आधार पर समय समय पर दूरदर्शन केन्द्र, पटना से प्रसारित समाचार बुलेटिनों में उल्लेख किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में संशोधन करने के आधार

735. **श्री ईश दत्त:**

श्री रामगोपाल यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम, 1990 को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लागू करने के लिए इसमें कोई संशोधन किये गये हैं तैथा क्या इस प्रयोजनार्थ इसकी जिम्मेदारियां किसी निकाय को सौंपी गई थीं;

(ग) यदि हां, तो किसे और किस आधार पर; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; तथा आकाशवाणी व दूरदर्शन पर किसकी निगरानी होगी? सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।